रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032026-271447
CG-DL-E-31032026-271447

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

| | |
|---|---|
| सं. 1596] | नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 2026/चैत्र 9, 1948 |
| No. 1596] | NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 2026/CHAITRA 9, 1948 |


## इस्पात मंत्रालय

## आदेश

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2026

**का.आ. 1661(अ).—**भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुएतथा खाद्य और पेय पदार्थों के लिए कुकवेयर, बर्तन और डिब्बे (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश 2025 के अधिक्रमण में, जहां तक यह स्टेनलेस स्टील के बर्तन, घरेलू उद्देश्यों के लिए स्टेनलेस स्टील सिंक और खाद्य और पेय पदार्थों के लिए थ्री पीस राउंड ओपन टॉप धातु के डिब्बों से संबंधित है, सिवाय ऐसे कार्यों के, जो अधिक्रमण से पहले किए गए अथवा जिन्हें किए जाने से छोड़ दिया गया, केंद्र सरकार काभारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अतः एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः-

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.**– (1) इस आदेश को खाद्य और पेय पदार्थों के लिए कुकवेयर, बर्तन और डिब्बे (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2026 कहा जाएगा।

यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. **मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग.** - तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट संबंधित भारतीय मानक के अनुरूप होंगी तथा उन पर भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगाः

बशर्ते कि इस आदेश में से कुछ भी निर्यात की जाने वाली स्वदेश में विनिर्मित वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगाः

बशर्ते यह भी कि इस आदेश में कुछ भी ब्यूरो द्वारा प्रमाणित विनिर्माता या ऐसे विनिर्माता द्वारा, जिसने प्रमाणन के लिए ब्यूरो या आयातक द्वारा संबंधित वस्तुओं और सामानों के लिए आवेदन किया है, इस आदेश की तालिका में विनिर्दिष्ट कार्यान्वयन की तारीख से पहले घरेलू रूप से विनिर्मित या आयातित वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगा, और ऐसे निर्माता या आयातक को तालिका के कॉलम (5), (6) और (7) में विनिर्दिष्ट कार्यान्वयन की तारीख से छह महीने तक ऐसे घोषित स्टॉक की बिक्री करने या प्रदर्शित करने या बिक्री का प्रस्ताव करने की अनुमति दी जाएगी, इस शर्त के अध्यधीन कि ऐसे विनिर्माता या आयातक, ब्यूरो के समक्ष चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित इस आशय की घोषणा करेंगे:

बशर्ते यह भी कि इस आदेश में कुछ भी भारत में आयात किए जाने पर किसी भी रूप में ठोस, तरल या गैस के रूप में सामग्री से भरी वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगाः

बशर्ते यह भी कि इस आदेश में कुछ भी इस शर्त के साथ प्रति वर्ष खाद्य और पेय पदार्थों के लिए कुकवेयर, बर्तन और डिब्बों के विनिर्माताओं द्वारा अनुसंधान और विकास के प्रयोजनार्थ आयातित दो सौ वस्तुओं या सामानों पर लागू नहीं होगा, और ऐसी आयातित वस्तुओं या सामानों की वाणिज्यिक बिक्री नहीं की जाएगी तथा उन्हें स्क्रैप के रूप में निपटाया जा सकता है, और विनिर्माता ऐसी वस्तुओं या सामानों का वर्षवार रिकार्ड रखेंगे और उसे केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करेंगे।

**तालिका**

| क्र. सं. | वस्तु या सामान | भारतीय मानक | भारतीय मानक का शीर्षक | सामान्यतः रूप से कार्यान्वयन की तारीख (सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को छोड़कर) | लघु उद्यमों के लिएकार्यान्वयन की तारीख | सूक्ष्म उद्यमों के लिए कार्यान्वयन की तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | खाद्य और पेय पदार्थों के लिए कुकवेयर, बर्तन और डिब्बे | 14756:2024 | स्टेनलेस स्टील के बर्तन | 1अक्टूबर, 2025 | 1 जनवरी, 2026 | 1अप्रैल, 2026 |
| 2. | | 13983:1994 | घरेलू उद्देश्यों के लिए स्टेनलेस स्टील सिंक | | | |
| 3. | | 18427:2024 | खाद्य और पेय पदार्थों के लिए थ्री पीस राउंड टॉप धातु के डिब्बे | | | |

**नोट-** इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानकों के संबंध में जारी संशोधनों सहित उनके नवीनतम संस्करण, जैसा कि ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं, लागू होंगे।

3. **प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण**-उक्त ब्यूरो, तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन एवं प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

[फा. सं. एस-20011/15/2024-तकनीकी-खंड(2)]

अभिजीत नरेंद्र, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF STEEL

## ORDER

New Delhi, the 30th March, 2026

**S.O. 1661(E).—**In exercise of the powers conferred by section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) and in supersession of the Cookware, Utensils and Cans for Foods and Beverages (Quality Control) Order 2025, in so far as it relates to Stainless Steel Utensils, Stainless Steel Sinks for Domestic Purposes and Three piece round open top metal cans for foods and beverages, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government after consulting the Bureau, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following order, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) This Order may be called the Cookware, Utensils and Cans for Foods and Beverages (Quality Control) Order, 2026.

It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

2. **Compulsory use of Standard Mark.** - Goods or articles specified in column (2) shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (3) of the Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau as per Scheme-1 of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this order shall apply to goods or articles manufactured domestically for export:

Provided further that nothing in this order shall apply to goods or articles domestically manufactured or imported before the date of implementation specified in the Table of this order by the manufacturer certified by the Bureau or manufacturer who has applied to the Bureau for certification or by the importer for the relevant goods and articles and such manufacturer or importer shall be permitted to sell or display or offer to sell such declared stock up to six months from the date of implementation specified in columns (5), (6) and (7) of the Table, subject to the condition that such manufacturer or importer shall make a declaration to this effect certified by a Chartered Accountant to the Bureau:

Provided also that nothing in this order shall apply to goods or articles filled with material in any form solid, liquid or gas, when imported into India:

Provided also that nothing in this order shall apply for two hundred number of goods or articles imported for the purpose of research and development by manufacturers of cookware, utensils and cans for food and beverages per year with the condition that such imported goods and articles shall not be sold commercially and shall be disposed of as a scrap and the manufacturer shall maintain a year-wise record of such goods and articles and furnish to the Central Government.

**TABLE**

<table>
<tr><th>SI. No.</th><th>Goods or articles</th><th>Indian Standard</th><th>Title of Indian Standard</th><th>Date of implementation in general (other than micro and small enterprises)</th><th>Date of implementation for small enterprises</th><th>Date of implementation for micro enterprises</th></tr>
<tr><th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th><th>(5)</th><th>(6)</th><th>(7)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td rowspan="3">Cookware, Utensils and Cans for Foods and Beverages</td><td>14756:2024</td><td>Stainless Steel Utensils</td><td rowspan="3">1st October, 2025</td><td rowspan="3">1st January, 2026</td><td rowspan="3">1st April, 2026</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>13983:1994</td><td>Stainless Steel Sinks for Domestic Purposes</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>18427:2024</td><td>Three piece round open top metal cans for foods and beverages</td></tr>
</table>

**Note. -** For the purposes of this Table, the latest version of the Indian Standard including the amendments thereof, as notified by the Bureau from time to time shall apply.

**3. Certification and enforcement authority.** - The Bureau shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in column (2) of the Table.

[F. No. S-20011/15/2024-TECH-Part(2)]

ABHIJIT NARENDRA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.03.31 12:24:09 +05'30'